

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2/एलएचवी/एम-140/2019/

दिनांक:-


आदेश

(प्रारूप-06)

श्रीमती मिथलेश सविता, महिला स्वास्थ्य दर्शिका (सेवानिवृत्त) खण्ड बसेडी, धौलपुर को निदेशालय के आदेश क्रमांक नर्सिंग/नर्स-2/एलएचवी/16/145 दिनांक 03.03.16 क्रम 01 पर अंकित के द्वारा विभागीय जांच लम्बित/विचाराधीन मानते हुए सेवा निवृत्त किया गया था। निदेशालय के आदेश क्रमांक सीबी/एनएस/एफ-1401/2016/1729 दिनांक 10.10.2016 के द्वारा कार्मिका को स्वैच्छा से अनुपस्थित रहने की अवधि दिनांक 17.04.04 से 06.03.06 तक को सेवाओं को शून्य काल (Dies-non) मानकर प्रकरण को समाप्त कर किया गया था। उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र पेन्शन हेतु निर्धारित प्रपत्र में जारी किया गया है।

श्रीमती मिथलेश सविता, महिला स्वास्थ्य दर्शिका के विरुद्ध आज दिनांक तक:-

- 1 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 2 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 3 कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ


राजस्थान जयपुर

दिनांक.- 11/7/19

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/ एम-140/2019/958

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राज. जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन भरतपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, धौलपुर।
4. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बसेडी, धौलपुर।
5. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
7. आदेश/निजी पत्रावली।



(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर